भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *92
उत्तर देने की तारीख 02.12.2024

वयोवृद्ध कलाकारों का कल्याण

*92. **श्री राजमोहन उन्नीथन :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन चुनौतियों से अवगत है जिनका सामना वयोवृद्ध कलाकारों को स्थिर आय और लंबे समय तक करियर बनाए रखने में करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त कल्याण सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की वयोवृद्ध कलाकारों के लिए एक नई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की योजना है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की पेंशन राशि बढ़ाने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान केरल के कासरगोड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वयोवृद्ध पेंशन से संबंधित प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान वयोवृद्ध पेंशन से संबंधित स्वीकृत आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'वयोवृद्ध कलाकारों का कल्याण' के संबंध में दिनांक 2 दिसम्बर, 2024 को श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *92 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): संस्कृति मंत्रालय ''वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता'' नामक स्कीम का संचालन इसके विभिन्न रूपों में करता है, जिसका उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयोवृद्ध और अभावग्रस्त कलाकारों को सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपनी सक्रिय आयु में कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है या जो अभी भी योगदान दे रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित कलाकारों को 6000/- रुपये प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, चयनित कलाकारों को यदि उनके संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से कोई कलाकार पेंशन प्राप्त होती है तो ऐसे कलाकारों को सहायता राशि जारी करने से पहले इसमें से पेंशन राशि को घटाया जाता है।

(ख): सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु वयोवृद्ध कलाकारों की सहायता करने के लिए प्रयास किए जाएं। लाभार्थियों की समस्याओं को कम करने हेतु विगत कुछ वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) जून, 2022 से इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता की राशि को 4000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6000/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है;

(ii) अब प्रत्येक वर्ष आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब इसे पांच वर्षों में एक बार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है;

(iii) पूर्व में, इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक कलाकार के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम से कम 500/- रुपये प्रति माह की कलाकार पेंशन प्राप्त करना अनिवार्य था। इस शर्त में छूट दे दी गई है और यदि आवेदक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कलाकार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उस मामले में भी अब संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी)/संस्कृति मंत्रालय द्वारा उसके कलात्मक पूर्ववृत्त का सत्यापन और अनुशंसा करने का प्रावधान किया गया है।

(iv) चयनित कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता का सुचारू रूप से और समयबद्ध संवितरण सुनिश्चित करने हेतु, दिनांक 28.06.2023 को केनरा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग): जी, नहीं। इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): अंतिम बार इस स्कीम की समीक्षा 2022 में की गई थी और 1 जून, 2022 से स्कीम के अंतर्गत मासिक वित्तीय सहायता को 4000/- रुपये से बढ़ाकर 6000/- रुपये कर दिया गया है।

(ङ): वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान केरल के कासरगोड जिले से 244 आवेदन प्राप्त हुए थे। तथापि, मंत्रालय द्वारा निर्वाचन क्षेत्र-वार सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(च): विगत पांच वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	अनुमोदित आवेदन
1.	2019-20	411
2.	2020-21	1821
3.	2021-22	2251
4.	2022-23	1150
5.	2023-24	355

*****